न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 150/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/248

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
1. शंकरपुरी पुत्र धीरपुर गोस्वामी 2. श्रीमती अन्तरी पत्नी शंकरपुरी गोस्वामी निवासीगण कानावास, तहसील सोजत जिला पाली (राज.)		1. मनोहरपुरी पुत्र शंकरपुरी गोस्वामी निवासी कानावास तहसील सोजत जिला पाली (राज.) 2. सरपंच ग्राम पंचायत सुरायता, पंचायत समिति सोजत तहसील सोजत जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पंवार।

—: निर्णय :—

दिनांक : 10/03/2026

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा मिसल संख्या 308/2017, प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 05.12.2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 34 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का पुत्र है। प्रार्थीगण ग्राम कानावास में निवासी है तथा अपने परिवार सहित जैर निगरानी मकान में रह रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को बेदखल करने की नियत से विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र वर्ष 2017 में 31 वर्ष की थी तो ऐसी स्थिति में मकान पर अप्रार्थी का 50 वर्ष से पुराना कब्जा कैसे हो सकता है। अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया, न ही निर्धारित शुल्क जमा करवाई गई, न ही पंचों को नियुक्त किया गया, न ही प्रश्नगत भूमि का नक्शा मौका बनाया गया और न ही स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये। प्रार्थीगण वृद्ध है तथा उपरोक्त मकान के अतिरिक्त अन्य कोई भी मकान नहीं है। प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टे की जानकारी होने पर नियत समय पर जैर निगरानी याचिका पेश की जिसे अन्दर म्याद शुमार फरमावे। जैर निगरानी मकान प्रार्थीगण का होते हुये भी अप्रार्थी संख्या 2, जो कि प्रार्थीगण का पुत्र है ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण करीबन 45 वर्ष से बाहर निवास कर रहे है तथा प्रार्थीगण के पास ग्राम कानावास के कोई भी दस्तावेज नहीं है। जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थीगण द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया था, उक्त भूमि पर अप्रार्थी ने सम्पूर्ण मकान का निर्माण करवाया। उक्त भूमि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 की दादी तथा प्रार्थी संख्या 1 की माता पतासी देवी का था। प्रार्थी ने अपनी माता पतासी देवी से मारपीट कर गांव कानावास को छोड़कर स्थायी रूप से गांव बासनीमुथा बस गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 को पतासी देवी के पास छोड़ गये और मेरा लालन पालन दादी पतासी देवी ने किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बिजली बिल किसी अन्य मकान का है। जैर निगरानी मकान का बिजली का बिल मेरे नाम से आता है। जैर निगरानी मकान का प्रार्थीगण के सगे भाईयों एवं समस्त ग्रामवासियों के मध्य जांच कर जारी किया गया। उक्त मकान पर संयुक्त रूप से अप्रार्थी की दादी एवं अप्रार्थी का कब्जा था इसलिये ग्राम पंचायत ने 50 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा माना है। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण जांच के उपरान्त पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पूर्णतया विधिसम्मत है। प्रार्थीगण ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा गिसाल संख्या 308/2017, प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 05.12.2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 34 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994. धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है।

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह था कि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत अप्रार्थी को 3080 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1996 की धारा 157 का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का है तथा उक्त नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2017 (2) DNJ (Raj.) 730 Mangilal Meghwal vs State of Rajasthan Thro' District collector, pali & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज़ अधिनियम, 1994–धारा 97, 156, 157 जिला कलेक्टर ने पट्टा रद्द किया–10,800 वर्गफीट माप के भूखण्ड का पट्टा जारी किया–आपसी बातचीत से भूमि का अन्तरण–दर्शाने हेतु रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं कि आपसी बातचीत द्वारा भूमि के विक्रय हेतु कभी कोई कार्यवाही की–कुछ भी खुलासा नहीं किया कि कब से याची विवादित भूमि के आधिपत्य में है–दीर्घ आधिपत्य साबित करने हेतु सामग्री नहीं–याची के पक्ष में पट्टा जारी करने का पंचायत ने सीधे ही निर्णय लिया–प्रचलित बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया–10,800 वर्गफीट की बड़ी भूमि रूपये 200/– के छोटे से मूल्य पर अन्तरिक की–सार्वजनिक भूमि हड़पने का मामला–भूखण्ड पर पुराने मकान के अस्तित्व में होने की साक्ष्य नहीं–निर्णित, आदेश में अवैधता या प्रतिकूलता नहीं है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जिस प्रस्ताव की पालना में जारी किया गया है उस प्रस्ताव में प्रश्नगत मिसल का अंकन ही नहीं है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी पट्टे का अवलोकन करने पर पाते है कि जैर निगरानी पट्टे पर अंकित विवरण के अनुसार यह दर्शाया गया है कि प्रश्नगत पट्टा मिसल संख्या 308/2017, दायर दिनांक 05.09.2017, प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 05.12.2017 की पालना में दिनांक 07.07.2017 को जारी किया गया किन्तु जब ग्राम पंचायत से प्राप्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया गया, तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि दिनांक 05.09.2017 को आयोजित बैठक में पारित किसी भी प्रस्ताव में प्रश्नगत मिसल संख्या 308/2017 को कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार दिनांक 05.12.2017 की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 05 में भी न तो प्रश्नगत मिसल संख्या का उल्लेख पाया गया और न ही जैर निगरानी पट्टा जारी किए जाने सम्बन्धी किसी प्रकार का निर्णय अथवा अनुमोदन दर्ज है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रस्ताव की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया जाना दर्शाया गया है, वह प्रस्ताव वास्तव में उक्त विषय से सम्बन्धित नहीं है और न ही उसमें जैर निगरानी पट्टा जारी करने का कोई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्पष्ट आदेश निहित हैं इसके अतिरिक्त, पट्टे में दर्शाई गई तिथियों का परस्पर तुलनात्मक परीक्षण करने पर यह गम्भीर विसंगति सामने आती है कि जिस मिसल को दिनांक 05.09.2017 को दायर होना बताया गया है, उसी मिसल के आधार पर पट्टा दिनांक 07.07.2017 को जारी किया जाना दर्शाया गया है, जो कि तर्क, प्रक्रिया एवं प्रशासनिक व्यवहार–तीनों की दृष्टि से असंभव है। इस प्रकार की कालानुक्रमिक असंगति यह इंगित करती है कि या तो पट्टा बिना किसी वैध मिसल के पूर्व में जारी किया गया है अथवा अभिलेखों में पश्चातवर्ती तिथियाँ दर्शाकर उसे वैध रूप देने का प्रसास किया गया है। इसका मतलब है कि प्रश्नगत प्रस्ताव का अस्तित्व ही नही है, यानी पट्टा नियमविरूद्ध तरीके से जारी किया गया। किसी पट्टे को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की विधिवत बैठक, प्रस्ताव की स्वीकृति और पारदर्शिता जरूरी है, बिना प्रस्ताव पट्टा जारी करना अवैध कार्य है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने की विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत हो, उस पर विचार कर विधिवत प्रस्ताव पारित किया जाए तथा प्रस्ताव में मिसल संख्या, भूमि का विवरण एवं निर्णय स्पष्ट रूप से अंकित हो, जो कि वर्तमान प्रकरण में पूर्णतः अनुपस्थित पाया गया। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रश्नगत पट्टा बिना सक्षम पंचायत प्रस्ताव, बिना विधिवत अनुमोदन तथा अभिलेखीय विरोधाभासों के साथ जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 10.10.2025 के अनुसार मिसल संख्या 308/2017 ग्राम पंचायत में नहीं है और आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि प्रश्नगत पट्टा जिस संकल्प की पालना में जारी किया गया वह प्रस्ताव में भी मिसल का अंकन नहीं है। इस स्थिति में यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध जैर निगरानी पट्टे की प्रति तथा ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत से प्राप्त पट्टा बुक संख्या 82 के अवलोकन से एक और गंभीर एवं आश्चर्यजनक तथ्य प्रकट आता है कि पत्रावली पर संलग्न जैर निगरानी पट्टे की प्रति पर सरपंच एवं ग्राम सेवक के हस्ताक्षर अंकित है एवं पट्टे की पुश्त पर सम्बन्धित भूमि का नक्शा भी बनाया हुआ है। इसके विपरीत, ग्राम पंचायत की आधिकारित पट्टा बुक संख्या 82 में अंकित पट्टा संख्या 34 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त पट्टे पर न तो सरपंच, न ग्राम सेवक तथा न ही किसी अन्य साक्ष्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं और न ही पट्टे की पुश्त पर किसी प्रकार का नक्शा अंकित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध जैर निगरानी पट्टे की प्रति एवं पट्टा बुक में दर्ज मूल प्रविष्टि के मध्य गंभीर एवं मूलभूत विरोधाभास पाया जाता हैं। यह विरोधाभास न केवल अभिलेखों की प्रमाणिकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि पत्रावली पर उपलब्ध पट्टे की प्रति सम्भवतः पश्चातवर्ती रूप से तैयार की गई अथवा उसमें अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षर एवं नक्शा जोड़ा गया है। अतः उक्त परिस्थितियाँ यह स्पष्ट करती है कि प्रश्नगत पट्टा अभिलेखीय दृष्टि से संदिग्ध, अविश्वसनीय एवं विधिसम्मत प्रक्रिया के अभाव में तैयार किया गया प्रतीत होता है, जिससे इसकी वैद्यता और अधिक सन्देहास्पद हो जाती है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे की मिसल कायम नहीं की गयी जिससे यह साबित है कि उक्त पट्टा जारी करने के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा मिसल संख्या 308/2017, प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 05.12.2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 34 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत सुरायता को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली